संख्या-56/2017/1654/22-2-2016-17(70)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 19 जनवरी, 2017**

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गजोधर पुत्र श्री शिव प्रसाद, निवासी जनपद-बाराबंकी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक 26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी गजोधर पुत्र श्री शिव प्रसाद, निवासी ग्राम रानीपुर, थाना-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी का निवासी है। जमीनी विवाद में बन्दी ने दिनांक 25-06-1995 को 02-30 बजे दिन में 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, करौली व लाठी से हमला करके भगौती की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-301/1995 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34,323/34 में मा0 न्यायाधीश, बाराबंकी द्वारा दिनांक 19-06-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2016 तक 21 वर्ष 02 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 11 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा जमीन विवाद में 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हैदरगढ़ से मोटर साइकिल से वापस आ रहे भगौती नामक व्यक्ति पर कट्टा, करौली व लाठी से हमला कर उसकी सरेआम हत्या करने का अपराध कारित किया गया है। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय स्तर पर विचाराधीन है। अतः बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गजोधर पुत्र श्री शिव प्रसाद, निवासी जनपद-बाराबंकी को फार्म-'ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी गजोधर (बन्दी संख्या-40580) पुत्र श्री शिव प्रसाद, निवासी जनपद-बाराबंकी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-56/2017/1654(1)/22-2-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बाराबंकी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-56/2017/1654@22-2-2016-17(70)/2013

दिनांक 19 जनवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध बन्दी गजोधर (बन्दी संख्या-40580) पुत्र श्री शिव प्रसाद, ग्राम रानीपुर, थाना-हैदरगढ, जनपद-बाराबंकी का निवासी है। जमीनी विवाद में बन्दी ने दिनांक 25-06-1995 को 02-30 बजे दिन में 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, करौली व लाठी से हमला करके भगौती की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-301/1995 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34,323/34 में मा0 न्यायाधीश, बाराबंकी द्वारा दिनांक 19-06-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2016 तक 21 वर्ष 02 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 11 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा जमीन विवाद में 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हैदरगढ से मोटर साइकिल से वापस आ रहे भगौती नामक व्यक्ति पर कट्टा, करौली व लाठी से हमला कर उसकी सरेआम हत्या करने का अपराध कारित किया गया है। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय स्तर पर विचाराधीन है। अतः बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी गजोधर पुत्र श्री शिव प्रसाद, निवासी जनपद-बाराबंकी को फार्म-'ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।